

पीएफ़सी की अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) नीति

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 'अपने ग्राहक को जाने नीति' निर्धारित की है। जिसके अनुसार, एकाउंट आधारित संबंध स्थापित करते समय या अंतरणों की निगरानी करते समय एनबीएफ़सी को ग्राहक की पहचान हेतु कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा।

इस उद्देश्य के लिए, आरबीआई एनबीएफ़सी को आज्ञा देता है कि वे ग्राहक की पहचान करने एवं पते को सत्यपित करने हेतु ग्राहक से उनकी सूचना प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, पहचान एवं पते के विवरण के अलावा, आरबीआई की एनबीएफ़सी से अपेक्षा करता है कि वे लाभप्रद स्वामित्व प्रस्थिति, भ्रष्ट लोगों, एफ़एटीसीए के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने वाले एकाउंट इत्यादि के संबंध में भी सूचना इकत्रित करें।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पीएफ़सी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ जमा कराएं ताकि हम केवाईसी नीति का अनुपालन कर सकें। केवाईसी पर विस्तृत सूचना एवं पीएफ़सी को जमा कराएं जाने वाले अपेक्षित फॉर्म/दस्तावेज़ पीएफ़सी के संबन्धित अधिकारी से प्राप्त हो जाएंगे।